


(390)

ugū  
8

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प रीवा जिला रीवा (म0प्र0)



R 5205-II/17

- 1- अखिलेश त्रिपाठी तनय श्री चकमणि प्रसाद त्रिपाठी उम्र 30 वर्ष पेशा खेती
- 2- बिमलेश त्रिपाठी तनय श्री चकमणि प्रसाद त्रिपाठी उम्र 24 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम कुतुलिया, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

—निगरानीकर्तागणे

उ. रब-पी. ३५ क्ला.  
राड० का० च० । १७.५.१७  
मा०

बनाम

- 1- अनीस कुमारी पुत्री यज्ञप्रताप तिवारी उम्र 50 वर्ष पत्नी श्री रमाकान्त अग्निहोत्री निवासी ग्राम दुआरी, तह0 गुढ़, जिला रीवा म0प्र0
- 2- रामाधार तिवारी तनय श्री रामप्रताप तिवारी उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम महसुआ तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

- 3- दल प्रताप तिवारी तनय श्री रामप्रताप तिवारी उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम महसुआ तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

- 4- सुरेश प्रसाद तिवारी तनय श्री रामप्रताप तिवारी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम महसुआ तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

- 5- मथुरा प्रसाद तिवारी तनय श्री रामप्रताप तिवारी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम महसुआ तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

- 6- रुद्र प्रताप तिवारी तनय श्री ठाकुरदीन तिवारी उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम महसुआ तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

- 7- हीरामणि तिवारी तनय श्री कृष्ण प्रताप तिवारी उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम महसुआ तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

- 8- राममणि तिवारी तनय श्री कृष्ण प्रताप तिवारी उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम महसुआ तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

- 9- देवमणि तिवारी तनय श्री कृष्ण प्रताप तिवारी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम महसुआ तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

10— शेषमणि तिवारी तनय श्री कृष्ण प्रताप तिवारी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम महसुआ तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

11— राजमणि तिवारी तनय श्री कृष्ण प्रताप तिवारी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम महसुआ तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

12— शकुन्तला पाण्डेय तनया यज्ञप्रताप तिवारी उम्र 50 वर्ष पत्नी श्री अंजनी प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम खड़डा , तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

13— ललितादेवी मिश्रा पुत्री यज्ञप्रताप तिवारी उम्र 45 वर्ष पत्नी श्री कुण्डलेश प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम जोकिहा तह0 गुढ़ , जिला रीवा म0प्र0

— गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0 जो प्रकरण क्रमांक 119 अ27 / 2007-08 में दिनांक 14/08/08 को पारित किया गया है अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-


- 1— यह कि निर्णय आदेश अधीनस्थ न्यायालय अनियमित अवैध व त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2— यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिन भूमि नं0 141, 225, 228, 236, 237, 238 स्थित ग्राम महसुआ के बारे में जो निर्णय दिया है वह आवेदकगणों के हितधारी पक्षकार होने के बाबजूद उन्हें पक्षकार बनाये बिना ही दिया है जबकि आवेदकगण आवश्यक हितधारी पक्षकार हैं। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण भी निरस्त किया जाने योग्य है।
- 3— यह कि आवेदकगण हितधारी पक्षकार हैं इसे दर्शाने के लिए उनका वंश वृक्ष दिया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5205-II / 2017

जिला-रीवा

अखिलेश त्रिपाठी/अनीस कुमार व अन्य

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीत तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्रमांक 119/अ-27/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 14.08.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">~</p>	 (बी.एम.शर्मा), सदस्य